CF-101/-
P.F-51/-
.1. -/-

35

# न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

1. कल्लन तनय नाथूराम खंगार,
2. चन्नू तनय चतरा चढार,
3. जसुआ तनय पर्वता अहिरवार,
4. मनोहर तनय मलुआ चढार
5. टन्टाई तनय चतरे चढार
6. गोविन्दी तनय गज्जू चढार
7. श्याम, गोरेलाल तनय छन्दी चढार
8. महेन्द्र,सुरेन्द्र तनय वंशी चढार,
9. दशरथ तनय परमा चमार,
10. राधा तनय प्रेमनारायण दांगी,
11. राजू तनय वंशी चढार,

..............पुनरिक्षणकर्ता

विरूद्ध

1. शासन मध्यप्रदेश तहसीलदार मोहनगढ
2. सरपंच ग्राम पंचायत बरेठी

................प्रतिपुनरिक्षण

(पुनरिक्षण धारा–50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता)

R-1696-IV/13

1502 ... द्वारा आज 22/4/13 को प्राप्त ... ग्वालियर

**प्रस्तुत पुनरिक्षण अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसीलदार मोहनगढ के आदेश दिनांक 27.02.2013 सुपुर्दगीनामा से व्यथित होकर प्रस्तुत की जा रही है ।**

महोदय,

पुरनिक्षणकर्ताओ की ओर से विनय इस प्रकार है भूमि स्थित ग्राम बरेठी भाटा खसरा क्र. 36 पर पुनरिक्षणकर्ताओं द्वारा वर्षो से उक्त भूमि पर कृषि कार्य करते अपने एवं अपने परिवार का भरण–पोषण करते चले आ रहे है दिनांक 27.02.13 को वगैर किसी कारण के उक्त खसरा क्रमांक पर करीब 30 एकड के आस–पास खडी फसल जप्त कर प्रतिपुनरिक्षण क्र.2 के सुपुर्द कर दी गई है फसल खेत में रखी वर्बाद हो रही है ऐसी स्थिति में पुनरिक्षणकर्ता भारी नुकसान ऊठा रहे है उनके पास उक्त भूमि/फसल के अलावा दूसरी भूमि नही है न ही कोई आजीविका का अन्य कोई साधन है इस तरह प्रतिपुनरिक्षणकर्ता क्र.1 के द्वारा राजनैतिक षडयंत्र के चलते खतरनाक मानव एवं विधि विरोधी कदम उठाया है ।

2. यह कि पुनरिक्षणकर्ताओं द्वारा बार–बार प्रतिपुनरिक्षण क्र.1 से सम्पर्क करने पर बताया गया कि उक्त भूमि से संबंधित विधानसभा में कोई कानून बन चुका है जिसके चलते उ फसल को कुर्क किया जा रहा है ऐसी स्थिति में पुनरिक्षणकर्ताओं को कोई विधिवत् आदेश नही दि है न ही उन्हें किसी तरह की कोई जानकारी दी गई पुनरिक्षणकर्ताओं द्वारा सम्पूर्ण लागत उ फसल में लगा दी है और उनके पास कुछ भी नही है ऐसे में कोई जल्दी कदम नही उठाया तो पुनरिक्षणकर्ताओं को भारी हानि उठानी पड सकती है । पुनरिक्षणकर्ता गरीब कृषक मजदूर है अधिकांश हरिजन जाति के है जिनके आय को स्त्रोत एक मात्र कृषि भूमि है इसके अलावा उ अन्य कोई साधन उनके पास नही है शासन के द्वारा पूर्व में उक्त भूमि आवंटित ... कर्ता क्र.1 का मौखिक कहना है कि शासन के द्वारा दिया गया पट्टा निर ...तिपुनरिक्षणकर्ता द्वारा पुनरिक्षणकर्ताओं को अतिक्रमक मान कर उक्त भू... की गई है ।

R-1696-15/13 ([illegible])

| | | |
|---|---|---|
| 6.2.17 | અરજદારશ્રી [illegible] આજ [illegible] D/R<br>[illegible] [illegible] [illegible] સમય<br>ઘણો [illegible] કે અરજદારશ્રી પુરાવા<br>[illegible] [illegible] [illegible] નથી, આ કામ<br>[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]<br>[illegible] છે, [illegible] [illegible] [illegible] | |

R